प्रेस नोट दिनांकः- 25.02.2021

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन मे आज दिनांक-25.02.2021 को जनपद में अपराधियो के विरूद्व व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

➢थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त अरूण पुत्र गुलाब सिहं निवासी मौ0 पीरगढ थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा 2. दिलशाद उर्फ राठी पुत्र शमसाद हुसैन निवासी मौहल्ला दानिस मन्नान थाना अमरोहा नगर को मय 50-50 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. सुनील पुत्र रघुवीर निवासी दातीखेडी की मढैया थाना मंडी धनौरा 2. राजेश पुत्र भारत सिंह निवासी पत्थरकुटी थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 30-30 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाडी करते हुए अभियुक्त जसवन्त पुत्र कन्हैयालाल निवासी मौहल्ला अट्टो कस्बा व थाना मंडी धनौरा को मय 05 सट्टा पर्ची व 310 रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना मंडी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक पुत्र सतीश निवासी मौहल्ला सुभाषनगर जनपद अमरोहा को मय 128 ग्राम नशीला पदार्थ चरस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना मंडी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

➢थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त लाखन पुत्र रामकुँवर निवासी ग्राम दरियापुर तुगन थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व अभियुक्त चेतन पुत्र गुलाब निवासी ग्राम मलकपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

➢ जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 06 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, व थाना रहरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।